

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-19102026-277287
SG-DL-E-19102026-277287असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 311]	नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 16, 2026/आश्विन 24, 1948	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 255
No. 311]	NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 16, 2026/ASVINA 24, 1948	[N. C. T. D. No. 255

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIअर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय
तथा
मुख्य पंजीकार (जन्म एवं मृत्यु) कार्यालय
अधिसूचना

दिल्ली, 15 अक्टूबर, 2026

सं. एफ.4(66)/जीवनांक/असनि/2025/3350.- जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 (1969 का अधिनियम संख्यांक 18) की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपराज्यपाल, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के संबंधित राजस्व जिलों और उपमंडलों के लिए निम्नलिखित अधिकारियों को जिला रजिस्ट्रार और अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त करते हैं, ताकि जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण किया जा सके और मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) के पर्यवेक्षण एवं निर्देशन में उक्त अधिनियम के अंतर्गत कार्यों का निर्वहन किया जा सके:-

नामित अधिकारी	जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अनुसार पदनाम	कर्तव्यों की प्रकृति
संबंधित राजस्व जिले के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम)	जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु)	जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 (2023 तक संशोधित) की धारा 6 की उपधारा (1) और (2) के तहत, जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 (2023 तक संशोधित) के प्रावधानों और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मुख्य रजिस्ट्रार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों को संबंधित जिले में लागू करने के लिए जिम्मेदार होंगे।
उप-मंडल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) अपने-अपने उप-मंडलों के संबंध में	अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु)	जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 (2023 तक संशोधित) की धारा 6 की उपधारा (1) के तहत अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार, जिला रजिस्ट्रार के सामान्य नियंत्रण और निर्देशन के लिए जिम्मेदार होंगे और जिला रजिस्ट्रार के ऐसे कार्यों का निर्वहन करेंगे, जिनका निर्वहन करने के लिए जिला रजिस्ट्रार उन्हें समय-समय पर अधिकृत कर सकते हैं।

1. यह नियुक्ति दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सभी राजस्व जिलों और उप-मंडलों पर लागू होगी, चाहे वे वर्तमान में मौजूद हों या सरकार द्वारा समय-समय पर बनाए, पुनर्गठित या संशोधित किए जाएँ।
2. इस प्रकार नियुक्त किए गए जिला रजिस्ट्रार और अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) अपने-अपने क्षेत्रीय अधिकार-क्षेत्रों के भीतर, उक्त अधिनियम के तहत उन्हें सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करेंगे और कर्तव्यों का पालन करेंगे।
3. यह अधिसूचना, राजस्व जिलों के लिए जिला रजिस्ट्रार और अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार की नियुक्ति के संबंध में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार द्वारा जारी की गई सभी पूर्व अधिसूचनाओं का स्थान लेती है।
4. इस प्रकार के निरस्तीकरण के बावजूद, निरस्त की गई अधिसूचनाओं के तहत किया गया कोई भी कार्य या कार्रवाई इस अधिसूचना के संबंधित प्रावधानों के तहत किया गया कार्य या कार्रवाई मानी जाएगी।
5. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के
उप-राज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

प्रेमानंदा प्रुष्टी, निदेशक एवं मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु)

DIRECTORATE OF ECONOMICS AND STATISTICS
AND
OFFICE OF THE CHIEF REGISTRAR (BIRTHS AND DEATHS)
NOTIFICATION

Delhi, the 15th October, 2026

No. F.4(66)/VS/DES/2025/3350.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Registration of Births and Deaths Act, 1969 (18 of 1969), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint the following officers as District Registrars and Additional District Registrars for the respective Revenue Districts and Sub-Divisions of the National Capital Territory of Delhi, for the purpose of carrying out the registration of births and deaths and for discharging the functions under the said Act, under the superintendence and direction of the Chief Registrar (Births & Deaths):-

Designated Officer	Designation as per Registration of Births & Deaths Act, 1969	Nature of Duties
Additional District Magistrate (ADM) of the concerned Revenue District	District Registrar (Births & Deaths)	Under Sub-Sections (1) and (2) of Section 6 of the Registration of Births & Deaths Act, 1969 (amended upto 2023), the District Registrar shall be responsible for carrying into execution in the concerned district the provisions of the Registration of Births & Deaths Act, 1969 (amended upto 2023) and the orders of the Chief Registrar issued from time to time for the purposes of this Act.
Sub-Divisional Magistrate (SDM) of the concerned Sub-Division	Additional District Registrar (Births & Deaths)	Under Sub-Section (1) of Section 6 of the Registration of Births & Deaths Act, 1969 (amended upto 2023), the Additional District Registrar shall be responsible for the general control and direction of the District Registrar, discharge such functions of the District Registrar as the District Registrar may, from time to time, authorise them to discharge.

1. This appointment shall apply to all Revenue Districts and Sub-Divisions of the National Capital Territory of Delhi as existing or as may be created, reorganised, or modified by the Government from time to time.
2. The District Registrars and Additional District Registrars (Births & Deaths) so appointed shall exercise the powers and perform the duties assigned to them under the said Act within their respective territorial jurisdictions.
3. This notification supersedes all earlier notifications issued by the Government of the National Capital Territory of Delhi regarding the appointment of District Registrars and Additional District Registrars for Revenue Districts and Sub-Divisions.
4. Notwithstanding such supersession, anything done or any action taken under the notifications so superseded shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this notification.
5. This notification shall come into force with immediate effect.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

PREMANANDA PRUSTY, Director (DES) & Chief Registrar (Births & Deaths)